

कार्यालय

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश संसदन

संख्या- प्राविध/परिषद् संसदन/2021/3537

संख्या- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय उत्तर

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कल्याणिक अंश इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी संख्यात्मक तालिका शिक्षा संसदों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 संसदन से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संसदों को सम्बद्धता पूर्व में अर्थात् संसदों को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश सम्बन्धी विधि संबंधित आथक जर्नी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचने वाले निर्णय के अनुक्रम में निम्न संसद को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 पर सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित करने के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं 3500 अर्थात् प्रवेश सम्बन्धी अनुमोदन विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4463-M S D POLYTECHNIC COLLEGE, BALPUR, KHARAILA, SARAI PALTOO, AZAMGARH

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0पी0टी0पी0/ पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु		परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु	
		अनुमोदित प्रवेश क्षमता		अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	CIVIL ENGINEERING	120		120	
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120		120	
3	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60		60	
4	ELECTRONICS ENGINEERING	60		60	
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120		120	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0पी0टी0पी0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंकी 1962, केम्पस विनियमोंकी-2016 तथा अन्य विनियमों नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ए0 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कर्मचारी पाठ्यक्रमों हेतु ए0 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक सप्ताह की वार्षिक कर्मचारी पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मचारी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ए0-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में अलग-अलग पर संसद द्वारा निर्गत किये जाने वाले संसदों/संसाधनों, और तदुत्तर जांचेवाली किया जाता जायसक होगा। प्रेषित विधिवत समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की तारीख तय करे लाना होगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा 350 समितियों, संसदों को सम्बद्धता किया जाय) विनियमोंकी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष के दिक् वह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को अलग-अलग पर निर्गत आसनादेशों के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0पी0टी0पी0/पी0सी0आइ0 से सम्बन्धी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कबले गये विधि/विद्यार्थी/अभियंता/आसनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशानुसार, प्राविधिक शिक्षा, 3000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा कबले गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ दिनांक: इन कर्मचारी पाठ्यक्रमों की सम्बन्धी विधि पी.सी.आइ. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करते में अलग-अलग रहती है तो इस संबंध में संसद उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से विधि की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशानुसार एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाय है तथा दायर बात के संबंध में आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कर्मचारी पाठ्यक्रम संसाधित करने वाली संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अर्थात् प्रवेश परीक्षा हेतु कर्तव्यनिमित्त प्रवेश होने के पूर्व पी0सी0आइ0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपरोक्त कक्षाएं प्रेषित अथवा इनकी प्रवेश की

- ✓ कर्तव्यनिमित्त के आदेशों से अथवा संसद स्तर पर शीघ्र प्रवेश। अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश संसदन द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत आसनादेश आसनादेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की अलग-अलग सूचनाओं को संस्था की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी, स्वयं, अलग-अलग, उपसदन, प्राप्त किया जाने वाले शुल्क, प्रशासनिक शुल्क आदि का विवरण उपरोक्त करनी होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपरोक्त शासन द्वारा उपरोक्त करने के साथ निर्गत करने के सम्बन्ध में संसदों आवश्यक उपकरण उपस्थित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासनिक/प्रशासनिक/प्रशासनिक को प्रवेश करने हेतु निर्देशानुसार समिति के संसद उपसदन सत्रों को अभिलेख, भूमि, अलग, कर्मचारी, उपसदन इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संसाधन में प्रवेश किया जाय है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रवेश विधि अन्य शर्तों के लिए कर रही है तो संसद संस्था की सम्बद्धता प्रमाण किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक निर्देशानुसार यदि संस्था में भूमि, अलग, प्रशासनिक, उपसदन एवं अन्य सत्र-सत्र ए0आइ0सी0पी0टी0पी0/पी0सी0आइ0/परिषद के निर्देशानुसार उपरोक्त नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता संसदन कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विस्तारानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोलंका)
अधिव
दिनांक: 09/08/2021

ए0आइ0- प्राविध/परिषद संसदन/2021/3538-4809
पता: शिक्षा
ए0आइ0- प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000, ए0आइ0सी0पी0टी0पी0/पी0सी0आइ0, बालपुर, खारैला, सराय पाल्टो, अजमगढ़

(सुनील कुमार सोलंका)
अधिव

